

**सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन**

नागरिक <https://revenue.cg.nic.in/citizenrequest/CitizenRegistrationForm.aspx> पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं।


अथवा

राजस्व न्यायालय की वेबसाइट (<https://revenue.cg.nic.in/revcase/>) में जाकर ऑनलाइन आवेदन विकल्प का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।



राजस्व न्यायालय , छत्तीसगढ़ शासन




 ऑनलाइन आवेदन ▾ नागरिक सुविधायें ▾ प्रतिवेदन ▾ परिचय ▾ संपर्क लॉगिन

राजस्व न्यायालय में आवेदन ▾  
साहूकारी लाइसेंस आवेदन  
नामांतरण/बैटवारा

आवेदन करे  
दिशानिर्देश ▾

Activity Sequence Emulator, Chhattisgarh

 **SMS**

**आगामी पेशी तारीख की  
SMS के माध्यम से सूचना  
संप्रेषण का प्रावधान**

प्रकरण/आवेदन क्रमांक डालिए

प्रकरण क्रमांक दर्ज कर विवरण देखे

# सीमांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया

नागरिक द्वारा पंजीयन पश्चात आवेदन दर्ज करना

आवेदन को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकृत करना

रीडर द्वारा प्रकरण दर्ज करना

पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई, आदेश पत्र जारी करना

ईशतेहार, ज्ञापन, प्रतिवेदन की कार्यवाही







अंतिम आदेश जारी करना

प्रकरण नस्तिबद्ध करना एवं पालन प्रतिवेदन हेतु अग्रेषित करना

### अनुसूची

सं. क्रमांक	कार्यालय/निकाय/ अधिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2[12.	तहसील कार्यालय	भूमि का सीमांकन	3 माह	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर

### आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

-  क्रमशः सेक्शन 1,2,3 एवं 4 की सही जानकारी दें।
-  आवेदन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ जो आपके पास उपलब्ध हैं उनकी पीडीएफ़ बनाकर सेक्शन 1 में अवश्य अपलोड करें।
-  आवेदक एवं अनावेदक की जानकारी सही-सही भरें।
-  ओटीपी प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर का चयन करें। ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करने पर 4 अंको राजस्व ओटीपी प्राप्त होगा।
-  मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की एंट्री कर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।
-  कम्प्यूटर जनरेटेड नंबर के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

सीमांकन के आवेदन के लिए चालान, भूमि के खसरा-बी1 एवं नक्शा की प्रति अपलोड करना होता है। साथ ही वाद भूमि की जानकारी, आवेदक/अनावेदक की जानकारी भरें। आवेदक के मोबाइल पर OTP भेजी जाती है। इसके बाद एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होता है जिससे आवेदन की स्थिति पता की जा सकती है।

आवेदन चयन करें +

### आवेदन की जानकारी भरें

#### 1. वाद भूमि की जानकारी

● खसरा पॉचसाला ○ परिवर्तित भूमि संधारण खसरा ○ नवूल संधारण खसरा

जिला :-

--चुने--

न्यायालय जहाँ आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं :-

--चुने--

तहसील चुनें :-

--चुने--

ग्राम का नाम :-

--चुने--

खसरा क्रमांक चुनें :-

--चुने--

#### 2. आवेदक की जानकारी

आवेदक/अपीलाधी/कार्यालय का नाम :- \*

पिता/पति/विभाग का नाम :- \*

आधार कार्ड नं. :-

कृपया नाम डालिए

वर्ग :-

--चुने--

जाति :-

--चुने--

लिंग :-

--चुने--

उम्र :-

मोबाईल/सम्पर्क नम्बर :-

6260518395

ई-मेल :-

अधिवक्ता का नाम :-

अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर :-

पता :-

आवेदक जोड़ें

### 3. अनावेदक की जानकारी



अनावेदक/कार्यालय का नाम :- \*

पिता/पति/विभाग का नाम :- \*

आधार कार्ड न. :-

वर्ग :-

जाति :-

लिंग :-

उम्र :-

मोबाईल/सम्पर्क नम्बर :-

ई-मेल :-

अधिवक्ता का नाम :-

अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर :-

पता :-

अनावेदक जोड़ें

### 4. सामान्य जानकारी



मामले का प्रकार :-\*

आवेदन का विवरण :

आवेदन लिखें

अपलोड करें: आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज :

Choose File

Select file

कृपया सीमांकन आवेदन के लिए ई चालान नंबर वेरिफाई करने हेतु यहाँ क्लिक करें...

नक्शा : Choose File

Select file

खसरा -B1 : Choose File

Select file

\* आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की एक पीडीएफ़ फाइल बनाकर अपलोड करें।

\* सीमांकन हेतु देय राशि को ई चालान द्वारा वेरिफाई करें एवं खसरा बी1, नक्शा का पीडीएफ़ अलग अलग अवश्य अपलोड करें

\* व्यपवर्तन (डायवर्सन) के आवेदन के साथ खसरा B1, नक्शा एवं T&C (टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग) द्वारा जारी NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। राजस्व न्यायालय में राजस्व प्रकरणों के आवेदन के लिए विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।



ओटीपी प्राप्त करें

सुरक्षित करें

- आवेदन सीधे संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को दिखने लगता है जिसे प्रकरण दर्ज करने के लिए रीडर को प्रेषित किया जाता है।
- पीठासीन अधिकारी से अग्रेषित आवेदन रीडर दे द्वारा दर्ज किया जाता है जिसके बाद एक प्रकरण क्रमांक जनरेट होता है। जो कि आगे की सभी कार्यवाहियों के लिए उपयोग किया जाता है।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है एवं आगे की सुनवाई का कारण और दिनांक दिया जाता है।
- प्रकरण में नोटिस, ईशतेहार/ज्ञापन जाती किया जा सकता है।
- भूमि के संबंध में संबंधित पटवारी या न्यायालय से प्रतिवेदन मंगाया जा सकता है।

आवेदन की स्थिति देखने के लिए मुख्य पृष्ठ पर  
आवेदन क्रमांक डालकर स्टेटस चेक करें



राजस्व न्यायालय , छत्तीसगढ़ शासन

 ऑनलाइन आवेदन ▾ नागरिक सुविधायें ▾ प्रतिवेदन ▾ परिचय ▾ संपर्क ▾ लॉगिन

Welcome to REvenue Case Activity Sequence Emulator, Chhattisgarh



पक्षकारों को सुनवाई पश्चात  
आगामी पेशी तारीख की  
SMS के माध्यम से सूचना  
संप्रेषण का प्रावधान



CLRCHH  
Case No #####  
Next hearing  
date: ####  
साहूकारी लाइसेंस  
आवेदन क्र.: ####  
सफलतापूर्वक दर्ज हुआ

201902/PA26040001

प्रकरण क्रमांक दर्ज कर विवरण देखें





# राजस्व न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन



आवेदन क्रमांक	201902/PA26040001
आवेदन करने का दिनांक	14/02/2019
मामले का प्रकार	मूल मामला
तहसील	ओड़गी
ग्राम	नोगई
खसरा नं (रकबा)	269( रकबा: 0.0300 हे०), 851( रकबा: 0.2500 हे०), 272( रकबा: 0.0100 हे०), 271( रकबा: 0.0100 हे०), 264( रकबा: 0.0400 हे०)
आवेदक	सुरेश कुमार वैग,
अनावेदक	गुलाबचंद
विवरण	भू-अभिलेख में नाम सुधार के संबंध में आवेदन पत्र: -----न्यायालयीन कार्यवाही-----
पीठासीन अधिकारी	BIHARILAL RAJWADE
न्यायालय	नायब तहसीलदार बिहारपुर
पता	बिहारपुर
प्रकरण क्र.	201902261800001
प्रकरण वर्ष	2018-2019
रजिस्ट्रेशन दिनांक	25/02/2019
प्रकरण शीर्ष	अ-6 अ
कुल जारी आर्डरशीट	1
जांच हेतु भेजने का दिनांक	प्रकरण जांच हेतु नहीं भेजा गया है
अगली सुनवाई दिनांक	06/03/2019
सुनवाई विषय	आवेदक के दस्तावेज हेतु
क्षेत्र	ग्रामीण
प्रकरण की स्थिति	कार्यवाही प्रक्रियाधीन